# न्यायालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।

**निगरानी संख्या– 49 वर्ष 2012–13** अन्तर्गत धारा–333 जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।

**उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून।**

**–निगरानीकर्ता।**

**बनाम**

**श्री एस0सी0 माथुर पुत्र के0डी0 माथुर व श्री एस0सी0 माथुर हिन्दु अविभाजित परिवार द्वारा श्री शिवांग माथुर निवासी देहरादून।**

**–विपक्षीगण।**

**बावत**

आराजी स्थित मौजा–पौंधा, परगना पछवादून,
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

## निर्णय

इस निगरानी से संबंधित संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि मैसर्स प्रेमिला मोटर्स प्रा0लि0 ने दिनांक 12 जनवरी, 2007 को विवादित भूमि एस0सी0 माथुर हिन्दु अविभाजित परिवार द्वारा शिवांग माथुर के पक्ष में अपने मुखत्यार आम श्री एस0सी0 माथुर पुत्र श्री के0डी0 माथुर के जरिये विकय की गई। विकय पत्र में घोषणा अंकित की गई कि केता के नाम जिला देहरादून में पूर्व से ही भूमि है। उप निबन्धक, विकासनगर के द्वारा जमीनदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(5) के अन्तर्गत संदर्भित किए जाने पर सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), विकासनगर द्वारा केता/विकेता को नोटिस दिया गया परन्तु उनकी ओर से उत्तर न प्राप्त होने पर वाद संख्या–39/2006–07 सरकार बनाम एस0सी0 माथुर आदि में दिनांक 14 मई, 2008 को धारा–166/167 जमीनदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित कर विवादित भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित कर दिया। श्री एस0सी0 माथुर व श्री एस0सी0 माथुर हिन्दु अविभाजित परिवार की ओर से इस आदेश के विपरीत निगरानी अपर आयुक्त, गढवाल मण्डल के न्यायालय में दाखिल की गई जो दिनांक 27 जुलाई, 2012 को निगरानीकर्ताओं के विरूद्व निर्णीत हुई। इस आदेश के पुर्नरवलोकन का आवेदन सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम–1 में करने पर 28 सितम्बर, 2012 को अपर आयुक्त, गढवाल मण्डल ने अवर न्यायालय का

आदेश निरस्त करते हुए मामले की पुनः सुनवाई के आदेश पारित किए जिसके विरूद्व यह निगरानी राज्य सरकार द्वारा दाखिल की गई है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यद्यपि इस निगरानी में कतिपय बिन्दु यथा बिन्दु 10 बलयुक्त है तथापि प्रतिपक्षीगण द्वारा अवर न्यायालय में पुर्नवलोकन के संबंध में उठाए गए कतिपय बिन्दु यथा कि क्या जमीनदारी उन्मूलन व भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 171–175 विक्रेता कम्पनी पर लागू हैं अथवा नहीं महत्वपूर्ण है जिनकी विवेचना सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), विकासनगर द्वारा अपने आदेश में नहीं की गई है।

अतः न्याय हित में मामले की सुनवाई दुबारा सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), विकासनगर द्वारा किया जाना उचित है जैसा कि अपर आयुक्त, गढवाल मण्ड़ल ने अपने आदेश दिनांक 28 सितम्बर, 2012 में निर्देशित किया है। तद्नुसार निगरानी अस्वीकार की जाती है।

देहरादून,
31 अगस्त, 2013

(सुनील कुमार मुद्दू)
अध्यक्ष।